(16)

क्रम संख्या–39 (क)

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०एन०-30/2006-08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, मंगलवार, 11 मार्च, 2008 ई०
फाल्गुन 21, 1929 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग

संख्या 263/XII/08/90(19)/2007
देहरादून, 11 मार्च, 2008

अधिसूचना

प्रकीर्ण

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल उत्तराखण्ड जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक लिपिक वर्ग सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तराखण्ड जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक लिपिक वर्ग सेवा नियमावली 2008

भाग एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1. इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 2007 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति– 2. उत्तराखण्ड जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक लिपिक वर्ग सेवा एक अराजपत्रित सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद सम्मिलित हैं।

परिभाषायें– 3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) "नियुक्त प्राधिकारी" से निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है,